उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-211/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी.सी.254-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(316)-2024

लखनऊः दिनांकः 07 मार्च, 2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), की धारा 158क और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर "पब्लिक टेक प्लेटफार्म फार फ्रिक्शनलैस क्रैडिट" को ऐसी प्रणाली के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करती हैं, जिसके साथ उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 158क की उपधारा (2) के अधीन सहमति पर आधारित सूचना सामान्य पोर्टल द्वारा साझा किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "पब्लिक टेक प्लेटफार्म फार फ्रिक्शनलैस क्रैडिट" का तात्पर्य उद्यम श्रेणी का एक ओपन आर्किटेचर सूचना प्रौद्योगिकी मंच से है, जिसकी अवधारणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2023 की "विकासकारी और विनियामक नीतियों पर कथन" पर उसके भाग के रूप में की गई है तथा इसका विकास उसके पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा प्रत्यय के बृहत वातावरण में उसके प्रचालनों के लिए किया गया है, जिससे विभिन्न डाटा स्रोतों से डिजीटल रूप में सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके और जहां वित्तीय सेवा प्रदाता और बहुल डाटा सेवा प्रदाता मानक और प्रोटोकाल चलित आर्किटेक्चर, ओपन और साझा अनुप्रयोग कार्यक्रम इंटरफेस (एपीआई) फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुये किसी मंच पर मिलते हैं, से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 फरवरी, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

आज्ञा से,

(डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव